



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 2022]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2280(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु असम सरकार द्वारा गठित बोर्ड, 'असम राज्य जैव विविधता बोर्ड' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है; अर्थात्

- (क) असम राज्य सरकार और राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण से बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान
- (ख) बोर्ड द्वारा आवेदकों को जीव-विज्ञान संबंधी संसाधनों की पहुंच प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस
- (ग) क्षेत्रीय अध्ययन/अनुसंधान कार्यों को करने के लिए संगठनों से प्राप्त फीस/परामर्शी प्रभार
- (घ) राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण और असम सरकार द्वारा बोर्ड को प्रदान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज
- (ङ) बैंक के पास मियादी जमाओं पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि असम राज्य जैव-विविधता बोर्ड :-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों 2015-16, 2016-17 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 69/2017/फा. सं. 300196/1/2016-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है।